न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–दिव्यराज सिंह चुण्डावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
111/2025	05.03.2025	02-05-2025

1. कंकू देवी आचार्य पत्नी श्री कल्याणमल आचार्य निवासी–महुआ कलॉ तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. गीता गुर्जर पुत्री श्री धूकल गुर्जर निवासी भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

–– प्रार्थीगण

बनाम

1. उदा पुत्र श्री नाथू गुर्जर निवासी– भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
2. कल्याण पुत्र श्री दयाराम गुर्जर निवासी भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
3. गोपी पुत्र श्री देवी गुर्जर निवासी– भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
4. छोटू पुत्र श्री दयाराम गुर्जर निवासी– भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
5. जेती पत्नी स्व० श्री राजू गुर्जर निवासी भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाडा
6. जमना पुत्र श्री देवी गुर्जर निवासी– भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
7. माना पुत्र श्री दयाराम गुर्जर निवासी– भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
8. रूपी पत्नी स्व० नाथू गुर्जर निवासी भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
9. काना पुत्र श्री लालू गुर्जर निवासी भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
10. चान्दु पुत्री मांगू गुर्जर निवासी भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
11. छोटू पुत्र श्री मांगू गुर्जर निवासी भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
12. भंवर पुत्र श्री मांगू गुर्जर निवासी भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
13. रामलाल पुत्र श्री लालू गुर्जर निवासी भडाणीखेडा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
14. शंकर पुत्र श्री मांगू गुर्जर निवासी भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

15. उदा पुत्र श्री गंगाराम गुर्जर निवासी भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
16. जड़ाव पुत्री श्री गंगाराम गुर्जर निवासी भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
17. भागु पुत्र श्री गगाराम गुर्जर निवासी भडाणीखेड़ा, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राज०)
18. रतनी देवी पत्नी श्री जगदीश गुर्जर निवासी– पालड़ी तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
19. अनिल पुत्र श्री सम्पत सुवालका निवासी– बड़ा महुआ तहसील एंव जिला भीलवाड़ा (राज०)
20. निशा सुवालका पत्नी श्री राजेश कुमार सुवालका निवासी–112 सुवालका मौहल्ला, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
21. मैनी देवी पत्नी श्री भैरूलाल सुवालका, निवासी–112 सुवालका मौहल्ला, रीछड़ा तहसील एवं जिला भीलवाड़ा
22. शान्ता देवी पत्नी श्री शंकरलाल तेली, निवासी बडा महुआ तहसील व जिला भीलवाडा।
23. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाडा (राज)।

—— विपक्षीगण

उपस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थीगण श्री रामेश्वरलाल जाट उपस्थित।
अप्रार्थी संख्या 01 से लगाकर 22 उपस्थित नहीं

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 आर0एल0आर एक्ट :–

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम भडाणीखेडा पटवार हल्का रीछडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद मे हम प्रार्थीगण की आराजी संख्या 913 रकबा 0.4173 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 914 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.6702 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और विपक्षीगण के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थीगण उक्त वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 22 उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थीगण अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है। मेंनें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश हेतु नियत किया गया।

मेंने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण उक्त आराजियात के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे अपनी आराजियात की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

अतः तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन (पत्थरगढी) करने का आदेश दिया जाता है कि ग्राम भडाणीखेडा पटवार हल्का रीछडा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुआकलां तहसील व जिला भीलवाड़ा की सरहद मे हम प्रार्थीगण की आराजी संख्या 913 रकबा 0.4173 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 914 रकबा 0.2529 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.6702 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कार्य संपादन से पूर्व फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढ़ी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में निशानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 02-05-2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिव्यराज सिंह चूण्डावत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा